न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 17/2023	तारीख रजू 14.12.2023	निर्णय दिनांक 27.12.2023

सरकार बनाम पीयुष कुमार

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि पीयुष कुमार तिवाडी पुत्र नारायण लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 4 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से पक्की बाउण्ड्री वॉलकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित जबाव इस आशय पेश किया कि उनकी पैतृक खातेदारी भूमि ख0नं0 559 व 560 रकबा 0.65 है0 जिस पर 59 वर्ष से उनका कब्जा काश्त है। जिसे उनके द्वारा दत्तक पुत्र गौरव को दान कर दी थी। उन्होनें पूर्व में निर्धारित कच्ची डोल से पक्की बनाई है ताकि अवैध कब्जाधारियों को रोका जा सकें तथा मुख्य सड़क से लगभग 80 फीट छोड़कर पक्की बाउण्ड्री बनाई है। उसका किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। गैरसायल द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेज पेश किये। जबाव व संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किया गये।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

गैरसायल को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि में ही बाउण्ड्री निमार्ण किया जाना अवगत कराया है परन्तु उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा उक्त अवैध बाउण्ड्री का निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभयपक्षकारान को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 12/– की 50 गुना शास्ति 600/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/2023

(सीमा घुणावत)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 600/– की कायमी वर्ष
2023–24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार